

FAX

संख्या / 54-1-2012/8 (9) / 2012 दीसी स०ब०

प्रेषक,

डी०एस० शर्मा,
विशेष सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- आयुक्त एवं प्रशासक,
शारदा सहायक समादेश,
23 री गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 2- आध्यक्ष एवं प्रशासक,
रामगंगा समादेश, 117/एम-2/193
पाण्डुनगर, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 18 मई, 2012
विषय- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट लेविल डाटा सेंटर
तथा जनपद रत्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर में टेक्निकल
एक्सपर्ट एवं अन्य कार्मिकों की रोवायें सेवा प्रदाता (Service Provider)
के माध्यम से लिए जाने के रांबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र रांख्या -225/54-1-2012/8 (9) / 2012 दीसी
स०ब० दिनांक 11 मई, 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट
करें। पत्र के ह्वारा दोनों सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिये गये हैं कि स्टेट
लेविल डाटा सेंटर तथा जनपद स्पार पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर में
रोनात कर्मचारियों को सक्षम स्तर की रास्त्रुति प्राप्त किये बिना किसी कार्गिक की
रोवायें रामापत्र न की जाय और न ही किसी नये कार्मिक की नियुक्ति की जाये।
अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेशों का परिपालन

सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोपरि।

मर्दीय,

(डी०एस० शर्मा)

विशेष सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी।

संख्या २३८ (१) / 54-1-2012/8 (9) / 2012 दीसी स०ब० तदुदिनांक।
प्रतिलिपि- संलग्नकों सहित समर्त मण्डलीय उप निवेशकों को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यपाली हेतु प्रेषित।
संलग्नक-यथोपरि।

(डी०एस० शर्मा)

विशेष सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी।

११२/१८०८५४६९५७५
११.५.१२

५०।

११२/१८०८५४६९५७।

११.५.२०१२

(११२/१८०८५४६९५७५)

प्रेषक,

डी०एस० शर्मा,
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१-

प्रबन्ध निदेशक,
याणी सिस्टम प्राइवेट लिंगो
आंधा बैंक के ऊपर
१६ विधान सभा मार्ग,
लखनऊ—२२६००१

२-

प्रबन्धक,
विग्योर इन्फो प्राइवेट लिंगो
प्रथम तल, बी-ब्लाक,
रोहित भवन, सप्रूमार्ग,
लखनऊ।

प्र०५०८०
२६.
२१।५।१२

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—१ लखनऊ दिनांक ॥ मई, 2012

विषय— समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में टेक्निकल एक्सपर्ट एवं अन्य कार्मिकों की सेवाये सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से लिए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के सज्जान में यह आया है कि आप द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी आई०डब्ल्यूएम०पी०, उ०प्र० शासन के राज्यान में लाये बिना रटेट लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में तैनात करिये कर्मचारियों को हटा दिया गया है तथा उन्हें एसएमएस भी किया गया है एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती करने के आदेश भी दिये गये हैं। इस प्रकार आप द्वारा स्वेच्छाचारिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने से डाटा सेल का कार्य प्रभावित हो रहा है।

शासन के पत्र संख्या—४५३/५४—१—११—१(समादेश) / 2010 दिनांक 23.05.2011 के प्रस्तर —३ तथा दोनों पक्षों के मध्य किये गये अनुबन्ध के विपरीत आप द्वारा उक्त कृत्य किया जा रहा है।

आपको यह गिरेंशित किया जाता है कि रटेट लेविल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में तैनात कर्मचारियों को सक्षम

स्तर की संसुन्दरता प्राप्त किये बिना किसी कार्मिक की सेवायें रागाप्त न की जाय और न ही किसी गये कार्मिक की नियुक्ति की जाये ।

भवदीय,

(डी०एस० शमा)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
०/टरेट लेविल नोडल एजेन्सी ।

संख्या २३५ (१)/५४-१-२०१२/८ (९)/२०१२ टीसी तदृदिनांक ।

प्रतिलिपि:-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०
शासन ।

२-उप निदेशक समादेश बन्धु, भूमि विकास एवं जल रांगाधन विभाग उ०प्र०
शासन ।

३-प्रशासनिक अधिकारी टरेट लेविल डाटा सेन्टर २३सी गोखले मार्ग लखनऊ को
सूचनार्थ प्रेषित ।

आङ्गा से,

(डी०एस० शमा)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
०/टरेट लेविल नोडल एजेन्सी ।